



सत्यमेव जयते

(☎022-22862703)  
ई-मेल/e-mail: irw@dae.gov.in  
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &  
2282 4354

भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**  
औ. सं. एवं क. अनुभाग

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई  
Mumbai - 400 001

सं.क्र. 7/14/2022/IR&W/Vol.II/ **5637**

अप्रैल **28**, 2023

**कार्यालय जापन OFFICE MEMORANDUM**

विषय 25 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों के लिए सीएचएसएस सुविधाओं का विस्तार -  
Subject: निर्भरता मानदंड सुनिश्चित करने में गैर-एकरूपता और अतिरिक्त 1% अंशदान की  
वसूली के संबंध में।  
Extending CHSS facilities to daughters beyond 25 years - Non-  
Uniformity in ascertaining dependency criteria and recovery of  
additional 1% contribution - regarding.

विभाग ने दिनांक 15.01.2016 के कार्यालय जापन संख्या 7/6/2015/IR&W/781 के तहत सीएचएसएस सुविधाओं को आश्रित विधवा / तलाकशुदा / अलग हुई बेटियों को प्रदान किया है।

Department vide OM No.7/6/2015/IR&W/781 dated 15.01.2016 has extended CHSS facilities to dependent widowed/divorced/separated daughters.

2. 25 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को सीएचएसएस सुविधा देने के संबंध में विभाग में आश्रय मानदंड सुनिश्चित करने में एकरूपता न होने तथा अतिरिक्त 1% अंशदान की वसूली के संबंध में राय मांगी गई है।

References have been received in the Department for extending CHSS facilities to daughters beyond 25 years regarding non-uniformity in ascertaining dependency criteria and recovery of additional 1% contribution.

3. सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर विभाग में सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि सीएचएसएस की सुविधा 25 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों (अविवाहित /अलग /विधवा /तलाकशुदा /परित्यक्त बेटियों सहित) को एक बार में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त 1% अंशदान के भुगतान पर दी जानी है।

After careful consideration in the Department, based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has now been decided that the CHSS facilities is to be extended to daughters beyond 25 years(includes unmarried/separated/widowed/divorced/ abandoned daughters) on payment of additional 1% contribution for maximum period of one year at a time

4. यह कार्यालय ज्ञापन इसे जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा।

This OM will be effective from the date of issue.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

अजीता  
28/04/2023

(अजीता थरियन Ajitha Thariyan)

अवरसचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) Under Secretary (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक प्राधिकारी/इकाई प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख  
All CHSS Administering Authorities /Head of Units/Administrative Heads of Units

प्रतिलिपि Copy to:

अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o JS(A&A). DAE

परमाणु ऊर्जा विभाग दर्पण

DAE Darpan